क्रम संख्या– 244

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0–30/2012–14 (लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार,01 अक्टूबर, 2013 ई0

आश्विन 09, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 350/विधायी एवं संसदीय कार्य/2013 देहरादून, 01 अक्टूबर, 2013

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) विधेयक, 2013 को दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 33 वर्ष 2013 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

- 1 -

उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना

(नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) अधिनियम, 2013

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 33 वर्ष 2013}

अनुक्रमणिका

धाराएं	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	2	3

अध्याय–एक

प्रारभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

2. परिभाषाएं

अध्याय – दो

अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत

योजनाओं एवं वित्तीय संसाधनों का निर्धारण

3. राज्य योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना परिव्यय का निर्धारण

4. उप योजना परिव्यय निर्धरण की सूचना

5. अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत सम्मिलित योजनाएं

6. अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में समानता के लिए प्रोत्साहन

7. सामान्य योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को लाभान्वित करना

8. अनुसूचित जाति उपयोजना तथा जनजाति उपयोजना का गठन

9. उपयोजनाओं का प्रेषण

अध्याय – तीन

अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना का मूल्यांकन, निर्धारण तथा अनुमोदन

10. राज्य समिति द्वारा उप योजना प्रस्तावों का परीक्षण

11. अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत सम्मिलित योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था के मानक

12. राज्य समिति की संस्तुति

अध्याय – चार

बजट प्राविधान, वितरण तथा क्रियान्वयन संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण। 13. बजट निर्धारण

14. वित्त विभाग में उप योजना हेतु पृथक अनुभाग

15. बजट आवंटन

अध्याय – पाँच

संस्थागत व्यवस्थाएं

16. राज्य समिति का गठन

17. राज्य समिति के कृत्य

18. नोडल विभाग

19. नोडल विभाग के कृत्य

20. नोडल विभाग के सृदृढीकरण के लिए पृथक से प्रशासनिक एवं तकनीकी इकाई की स्थापना

21. विभागों के स्तर पर उपयोजना सहायता इकाई

22.

जिला स्तर पर अनुसूचित जाति उप योजना/जननाति उप योजना का क्रियान्वयन

23. प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण

अध्याय – छः

अनुसूचित जाति उपयोजना ओर जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व निर्धारण

24.

पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व 25. पुरूस्कार एवं दण्ड

26. वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण
27. नियम बनाने की शक्ति
28.
कठिनाईयों के निराकरण की शक्तियॉ 29. निरसन एवं अपवाद

- 3 -

उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति
उपयोजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) अधिनियम, 2013
{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 33 वर्ष 2013}

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का त्वरित विकास सुनिश्चित करने, समानता प्राप्ति पर विशेष बल प्रदान करने, आर्थिक, शैक्षिक और मानव विकास को केन्द्रित करने के साथ सुरक्षा और सामाजिक गरिमा सुनिश्चित करने तथा उत्तराखण्ड राज्य के सम्पूर्ण योजना परिव्यय में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना परिव्यय का निर्धारण करते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मध्य समानता को प्रोत्साहित करने और इनके कियान्वयन तथा सम्बन्धित अथवा आनुषांगिक विषयों हेतु प्रभावी संस्थागत प्रकियाओं को सुनिश्चित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो:—

अध्याय — एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार प्रारम्भ उपयोग)

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति और उपयोजना और जनजाति उपयोजना (नियोजन, धनावंटन तथा अधिनियम, 2013 है।
(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।
(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,:—
(क) ''राज्य'' से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;
(ख) ''राज्य सरकार'' से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
(ग) ''राज्य समिति'' से समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति अभिप्रेत है;
(घ) ''नोडल विभाग'' से उत्तराखण्ड राज्य का समाज कल्याण विभाग

- 4 -

अभिप्रेत है;
(च) ''अनुसूचित जाति'' तथा ''अनुसूचित जनजाति'' से 'भारत का संविधान' में निर्दिष्ट अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अभिप्रेत है;
(छ) ''अनुसूचित जाति उपयोजना'' से अनुसूचित जातियों के विकास में पिछड़ेपन को दूर करने हेतु वार्षिक योजना में सम्मिलित करने के लिए राज्य स्तरीय समिति के द्वारा अनुमोदित योजना प्रस्ताव अभिप्रेत है; (झ) ''जनजाति उपयोजना'' से अनुसूचित जनजातियों के विकास में पिछड़ेपन को दूर करने हेतु वार्षिक योजना में सम्मिलित करने के लिए राज्य समिति के द्वारा अनुमोदित योजना प्रस्ताव अभिप्रेत है;
(ञ) ''अनुसूचित जाति उपयोजना परिव्यय/जनजाति उपयोजना परिव्यय'' से राज्य योजना राशि का वह अंश अभिप्रेत है, जो धारा 3 में निर्धारित की गयी है;
(ट) ''अनुसूचित जाति उपयोजना/जनजाति उपयोजना की योजना'' से

विभागों द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना तथा जनजाति उपयोजना में सम्मिलित की गई योजनाएं अभिप्रेत है;

(ठ) ''सामान्य योजना'' से विभागों द्वारा वार्षिक योजना में सम्मिलित की गयी योजना अभिप्रेत है, जिससे समस्त जनसंख्या समूह जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी सम्मिलित है, लाभान्वित होती है;

(ड) ''विभाग'' से ऐसा विभाग अभिप्रेत है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ योजनाएं संचालित करता है;

(ढ) ''विकास में विषमता'' से विकास के सूचकांकों में राज्य के औसत तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मध्य व्याप्त अन्तर अभिप्रेत है;

(ण) ''उपयोजना'' से अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना अभिप्रेत है;

(त) ''अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (ग्राम/बस्ती/रिहाईश)'' से ऐसे ग्राम/बस्ती/रिहाईश अभिप्रेत है, जहां पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या के चालीस प्रतिशत से कम न हो;

- 5 -

(थ) ''अधिसूचना'' से उत्तराखण्ड के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

अध्याय दो

अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत योजनाओं एवं वित्तीय संसाधनों का निर्धारण

राज्य योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति समानुपातिक उपयोजना और उपयोजना तथा जनजाति उपयोजना के लिए जनजाति परिव्यय का निर्धारण

3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य योजना की एक निश्चित राशि, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के हो, अनुसूचित जाति निर्धारित की जायेगी। परिव्यय की राशि का निर्धारण आगामी वित्तीय उपयोजना वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व किया जायेगा। वार्षिक राज्य योजना के आकार में परिवर्तन होने पर अनुसूचित जाति उपयोजना तथा जनजाति उपयोजना परिव्यय को तदनुसार संशोधित किया जायेगा। अनुसूचित जाति उपयोजना तथा जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि का लेखा–जोखा पृथक से रखा जायेगा।

उपयोजना परिव्यय निर्धारण की सूचना उपयोजना परिव्यय

4. राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत नोडल विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्य विभागों को प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति और जनजाति उपयोजना हेतु निर्धारित परिव्यय में से अनन्तिम का आवंटन विभागीय अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना गठित करने हेतु किया जायेगा।

अनुसूचित जाति और जनजाति उपयोजना अन्तर्गत सम्मिलित योजनाऐं

5. विभागीय अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना में ऐसी योजनाऐ सम्मिलित की जायेगी जिनका प्रत्यक्ष एवं परिमाणक लाभ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवार, बस्ती या जनजाति अधिसूचित क्षेत्र को प्राप्त होगा तथा इनके क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप विकास की विषमता दूर हो सके। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम/अनुसूचित जाति बस्ती/तोक/ मजरा /वार्ड, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम/अनुसूचित जनजाति बस्ती/

तोक/मजरा/वार्ड केन्द्रित क्षेत्रीय विकास की योजनाओं को अनुसूचित जाति उपयोजना/जनजाति उपयोजना में सम्मिलित किया जायेगा :

परन्तु यह कि योजनाओं का चयन एवं गठन राज्य

- 6 -

नियोजन विभाग द्वारा वार्षिक योजना एवं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरूप किया जायेगा।

अनुसूचित जातियों उप एवं अनुसूचित जनजातियों में समानता के लिए प्रोत्साहन

6. विभागों द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विभिन्न समूहों के समान विकास तथा इन समूहों के पिछड़ी हुयी बस्ती को केन्द्रित करते हुए योजनाऐ बनायी जायेगी।

सामान्य योजनाओं के एवं अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को लाभान्वित करना

7. विभागों द्वारा सामान्य योजनाओं के अन्तर्गत भी अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को पात्रतानुसार लाभान्वित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना योजना का गठन

8. नोडल विभाग से सूचना प्राप्त होने पर विभिन्न विभाग अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की वास्तविक आवश्यकताओं का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आंकलन करने के उपरान्त राज्य की प्राथमिकताओं के अनुरूप अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना का गठन करेंगे।

उपयोजनाओं का प्रेषण

9. प्रत्येक विभाग नोडल विभाग द्वारा निर्धारित प्ररूप पर समयावधि में अनुसूचित जाति उपयोजना तथा जनजाति उपयोजना नोडल विभाग को राज्य समिति के परीक्षण एवं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

अध्याय – तीन

अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना का मूल्याकंन, निर्धारण तथा अनुमोदन

राज्य समिति द्वारा उपयोजना प्रस्तावों का परीक्षण

10. राज्य समिति द्वारा विभागों से अनुसूचित जाति उपयोजना तथा जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत प्राप्त योजनाओं का परीक्षण इस अधिनियम में निर्धारित मानकों के सापेक्ष किया जायेगा।

- 7 -

अनुसूचित जाति उपयोजना और

11. राज्य समिति के द्वारा विभागों से प्राप्त प्रस्तुत अनुसूचित जाति उपयोजना तथा जनजाति उपयोजना का मूल्यांकन निम्न मानकों के

जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत सम्मिलित योजनाओं लिए के लिए वित्तीय व्यवस्था के मानक

आधार पर किया जायेगा :

(क) ऐसी योजनाऐं, जिनका सम्पूर्ण लाभ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अथवा परिवार को मिलेगा,उन योजनाओं के शत–प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जाति उपयोजना तथा जनजाति उपयोजना के नामें डाला जायेगा;

(ख) ऐसी योजनाऐं, जिनका शत–प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ग्राम/बस्ती/रिहाईस/तोक/मजरा/वार्ड को मिलेगा, उन योजनाओं के लिए शत–प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था अनुसूचित जाति उपयोजना/जनजाति उपयोजना मद से की जायेगी। अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों के अतिरिक्त अन्य ग्रामों में संचालित/क्रियान्वित किये जाने वाले ऐसे कार्यक्रम/योजनायें जिनका लाभ केवल अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के समूह को प्राप्त होता है तो उन्हें भी लाभान्वित वर्ग के अनुसार अनुसूचित जाति उपयोजना अथवा जनजाति उपयोजना, जैसी स्थिति हो, के अन्तर्गत सम्मिलित किया जायेगा;

(ग) सामान्य योजनाओं में व्यय की जाने वाली ऐसी धनराशि, जिससे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या लाभान्वित होती है, में से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की आनुपातिक जनसंख्या के आधार पर धनराशि अनुसूचित जाति उपयोजना और अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद में डाली जायेगी;

(घ) अविभाज्य प्रकृति की योजनाओं में होने वाले व्यय में से अनुसूचित जाति उपयोजना तथा जनजाति उपयोजना मद में दर्शायी जाने वाली धनराशि का निर्धारण नोडल विभाग द्वारा किया जायेगा।

राज्य समिति की संस्तुति

12. राज्य समिति द्वारा अधिनियममें उल्लिखित मानकों के अनुरूप प्राप्त प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया जायेगा ताकि विभाग बजट की प्रक्रिया पूर्ण करा सके।

- 8 -

अध्याय – चार

बजट प्राविधान, वितरण तथा क्रियान्वयन संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

बजट निर्धारण

13. अनुसूचित जाति उपयोजना तथा जनजाति उपयोजना के लिए राज्य समिति द्वारा अनुमोदित परिव्यय/बजट को विभिन्न विभागों की सुसंगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत क्रमशः अनुदान संख्या 30 एवं 31 की मांग में सम्मिलित किया जायेगा।

वित्त विभाग में उपयोजना हेतु लिए पृथक अनुभाग

14. वित्त विभाग द्वारा इस अधिनियम में निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप बजट आंबटन तथा क्रियान्वयन के कार्यो को सम्पादित करने के लिए सरकार वित्त विभाग को, वित्त विभाग में उपलब्ध संसाधनों तथा निर्धारित प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में जैसा उपयुक्त हो, सुदृढ़ करेगी।

बजट आंबटन

15. विधायिका द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार बजट पारित किये जाने के उपरान्त अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना मद में आय–व्ययक अनुमान में निर्धारित बजट को सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।

अध्याय – पाँच

संस्थागत व्यवस्थाएं

राज्य समिति का गठन

16. (1) राज्य सरकार अधिसूचना से इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में ''राज्य अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति'' का गठन करेगी। राज्य समिति इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों में निहित अधिकारों एवं कृत्यों का निष्पादन करेगी।

(2) राज्य समिति वर्ष में न्यूनतम दो बार बैठक करेगी।

राज्य समिति के कृत्य

17. राज्य समिति –

(क) राज्य सरकार को अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना से सम्बन्धित नीति विषयक परामर्श देगी;

(ख) विभागों को योजनाओं के गठन एवं क्रियान्वयन के लिए सुझाव देगी;

(ग) नोडल विभाग की सहायता से विभागों द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति

उपयोजना और जनजाति उपयोजना प्रस्तावों का मूल्याकंन अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत करेगी;

(घ) विभागों की वार्षिक अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना प्रस्तावों का अनुमोदन करेगी;

(ङ) अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा एवं अनुश्रवण करेगी;

(च) उपयोजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों की पहचान तथा निराकरण के लिए सुझाव देगी;

(छ) ऐसे अन्य कार्य जो अपेक्षित हैं, को सम्पादित करेगी;

टिप्पणीः राज्य समिति के निर्देश समस्त विभागों के लिए बाध्यकारी होंगें।

नोडल विभाग के रूप में

18. राज्य समिति को अपने अधिकारों के उपयोग तथा कार्यों के निर्वहन में सहयोग प्रदान करने के लिए समाज कल्याण विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

नोडल विभाग के कृत्य

19. नोडल विभाग के निम्नलिखित कृत्य होंगे; अर्थात् –ः––

(क) अनुसूचित जाति उपयोजना तथा जनजाति उपयोजना के गठन के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करना;

(ख) अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत विभागों से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करते हुए राज्य समिति के विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना;

(ग) एक विभाग से दूसरे विभाग में अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना परिव्यय का पुर्नविनियोग करना;

(घ) अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन, व्यय, परिणाम उपलब्धि आदि सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए बेबपोर्टल तैयार करना।

नोडल विभाग के सुदृढीकरण के लिए

20. राज्य समिति को सहायता प्रदान करने तथा निर्धारित कृत्यों के निर्वहन के लिए राज्य सरकार नोडल विभाग के स्तर पर अनुसूचित जाति

पृथक से प्रशासनिक एवं तकनीकी इकाई की स्थापना — उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना प्रशासनिक एवं तकनीकी इकाई को आवश्यकतानुसार सुदृढ़ करेगा।

- 10 -

विभागों के स्तर पर उपयोजना सहायता इकाई'' इकाई — 21. राज्य समिति द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के लिए चिन्हाकिंत विभाग भी ''उपयोजना सहायता का गठन आवश्यकतानुसार कर सकेंगे।

जिला स्तर पर अनुसूचित जाति उपयोजना/ जनजाति उपयोजना क्रियान्वयन — 22. (1) राज्य सरकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला अनुश्रवण समिति का गठन करेगी, जो जिले स्तर पर अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) प्रत्येक जनपद की ''जिला योजना समिति'' अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन की सामयिक समीक्षा करेगी।

प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्थागत दिशा सुदृढ़ीकरण निर्धारित — 23. सभी सम्बन्धित विभाग अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा समीक्षा के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने, स्टाफ की व्यवस्था करने तथा स्टाफ को प्रशिक्षण दिलाने आदि ऐसे उपाय करेगें जो राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय विभागीय इकाई के लिए आवश्यक है।

अध्याय – छः

अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व निर्धारण

पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व — 24. (1) प्रत्येक विभाग अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करेगा।

(2) प्रत्येक विभाग सूचनाओं को जन उपयोगार्थ ''पब्लिक डोमेन'' में स्थापित करेगा।

पुरस्कार एवं दण्ड — 25. सरकार इस अधिनियम में निहित उत्तरदायित्वों के निर्वहन करने वाले कार्मिकों एवं अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य के अभिप्रेरण हेतु पुरूस्कार प्रदान करने तथा कार्य में समुचित परिश्रम न करने एवं उदासीनता बरतने वालों को दण्डित करने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करेगी।

विधानसभा पटल पर वार्षिक रिपोर्ट का — 26. नोडल विभाग द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन के परिणाम, विभागवार प्रगति तथा सम्बन्धित

प्रस्तुतीकरण वर्ष में अनुप्रयुक्त रह गयी धनराशि की वार्षिक रिपोर्ट मंत्रिमण्डल को प्रस्तुत करेगी।

- 11 -

नियम बनाने की शक्ति

27. (1) राज्य सरकार, अधिनियम के अन्य प्राविधानों के अध्यधीन रहते हुए, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के किन्हीं अथवा समस्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी विषयों या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा; अर्थात् :—

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास में विषमता का निर्धारण;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के अधीन अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के परिव्यय का निर्धारण;

(ग) अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना की योजनाओं का चिन्हाकंन तथा विभागों द्वारा उपयोजनाओं का निर्माण;

(घ) नोडल विभाग के मूल्याकंन हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना बजट प्रस्तावो को तैयार करना;

(ङ) अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के व्यय की समीक्षा हेतु वित्त विभाग का सुदृढ़ीकरण करना;

(च) राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उपयोजना कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति के गठन तथा कृत्यों, राज्य समिति के गैर सरकारी सदस्यों की योग्यता, निर्योग्यता तथा मानदेय का निर्धारण करना;

(छ) राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उपयोजना के लिए नोडल विभाग नामित करना;

(ज) नोडल विभाग द्वारा ''बेब पोर्टल'' का रखरखाव;

(झ) नोडल विभाग में पृथक अनुसूचित जाति उपयोजना / जनजाति उपयोजना प्रशासनिक एवं तकनीकी की स्थापना;

(ञ) विभागों के स्तर पर उपयोजना सहायता इकाई की स्थापना;

(ट) जिला अनुश्रवण समिति का गठन तथा सम्बन्धित विषयों का निर्धारण;

- 12 -

(ठ) प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य, जिला, विकास खण्ड स्तर पर संस्थान सुदृढ़ीकरण, जागरूकता, जनसम्पर्क कार्यक्रम तथा अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना की समीक्षा;

(ड) अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व की प्रक्रिया।

(3) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति

28. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, ऐसे आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हो, कठिनाई दूर कर सकेगी :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश पारित किये जाने के पश्चात, यथाशीध्र, विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन एवं अपवाद 29 (1) उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जननाति उप योजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) अध्यादेश, 2013 (अध्यादेश संख्या 02 वर्ष 2013) एतदद्वारा निरसित किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

.

The Uttarakhand Scheduled Castes Sub-Plan and Tribal Sub-Plan (Planning, Allocation and Utilization) Act, 2013

[Uttarakhand Act No. 33 of 2013]

An Act

to ensure, accelerated development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes with emphasis on achieving equality economic, educational and human development along with ensuring the security and social dignity and promoting equity among Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, by earmarking a portion, in proportion to population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the State of the total plan outlay of the State of Uttarakhand as the outlay of the Scheduled Castes Sub-Plan/Tribal Sub-Plan of the State and ensuring effective institutional mechanisms for the implementation and for matters connected therewith or incidental thereto.

It is hereby enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixtieth-fourth Year of the Republic of India as follows :-

Chapter – I
Preliminary

Short title, extent and commencement 1. **(1)**This Act may be called the Uttarakhand Scheduled Castes Sub-Plan and Tribal Sub-Plan (Planning, Allocation and Utilization) Act, 2013.

(2) It extends to the whole of the State of Uttarakhand.

Definitions 2. In this Act, unless the Context otherwise requires-

(a)"State" means Uttarakhand State;

(b)"State Government" means the State Government of Uttarakhand;

(c)"State Committee" means "the State Committee for Implementation and Monitoring of Scheduled Castes Sub-Plan /

Tribal Sub Plan" headed by Minister of Social Welfare;

(d)"Nodal Department" means Social Welfare Department of the Government of Uttarakhand;

(e)"the Scheduled Castes" and "**Scheduled Tribes**" means the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as notified in the constitution of India;

(f)"Scheduled Castes Sub-Plan(SCSP)" means the plan approved by the State committee for inclusion in the Annual Plan of the Department to bridge the gap in development of Scheduled Castes;

(g)"Tribal Sub Plan (TSP)" means the plan approved by the state committee for inclusion in the Annual Plan of the Department, to bridge the gap in development of Scheduled Tribes;

(h)"Scheduled Castes Sub-Plan/Tribal Sub-Plan fund" means a portion of the total plan outlays of the state in a financial year, as earmarked under the section 3;

(i)"Scheduled Castes Sub-Plan/Tribal Sub-Plan Schemes" means the Scheduled Castes Sub-Plan/Tribal Sub-Plan Schemes included in the Scheduled Castes Sub-Plan/Tribal Sub-Plan of the Departments;

(j)"General Schemes" means schemes included in the Annual Plans of the Departments which benefit all social groups including Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(k)"Department" means any Government Department concerned with implementation of the plan schemes for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(l)"Gaps in development" means differences in development indicators of Scheduled Castes/Scheduled Tribes when compared to the state averages;

(m)"Sub-Plans" means Scheduled Castes Sub-Plan(SCSP) /Tribal Sub-Plan(TSP) or both;

(n)"Scheduled Castes/Scheduled Tribes habitation" means any

- 15 -

habitation where population of Scheduled Castes or Scheduled Tribes is not less than fourty percent of the total population of habitation;

Uttarakhand.

Chapter – II

Planning, Resource Allocation for Scheduled Castes Sub-Plan and Tribal Sub-Plan Funds and Schemes

Earmarking of Scheduled **3.** The State shall, every financial year, earmark in such manner as may be prescribed, a portion of the total Plan outlays of the State

Castes Sub- Castes/Scheduled		which shall be proportionate to the Scheduled
Plan/Tribal		Tribe population of the State, to be called as Scheduled Castes
Sub-Plan Fund is		Sub-Plan and Tribal Sub-Plan Fund. The Fund to be earmarked
from Plan		determined prior to commencement of the next financial year.
outlays outlay		The Scheduled Castes Sub-Plan and Tribal Sub-Plan Fund shall be revised according to State Annual Plan final outlay andd the expenditure of the SCSP/TSP Fund shall be accounted for separately.
Communication of Plan outlay	**4.**	The department as may be authorized by the Government shall, every financial year, communicate, in the manner prescribed, to the other departments, a tentative plan outlay out of Scheduled Castes Sub-Plan/Tribal Sub-Plan.
Schemes to be that **included under the Scheduled** Caste/Scheduled **Castes Sub-** habitations **Plan and Tribal Sub- Plan** directly	**5.**	The Sub-Plans of the departments shall include such schemes secure direct and quantifiable benefits to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe individuals or Scheduled Tribe households or Scheduled Caste/Scheduled Tribe or Tribal areas and that have the potential to bridge the gaps in development. Besides, outlay for area-oriented schemes benefiting Scheduled Castes hamlets/villages having a majority of Scheduled Castes population/tribal hamlets and villages shall - 16 - be included in SCSP and TSP : Provided that the Schemes should be consistent with the Annual and Five Year Plans and priorities of the State of Uttarakhand as may be communicated by the Planning department.
Promotionof Tribal **equity among Scheduled Castes and**	**6.**	The departments shall prepare Scheduled Castes Sub-Plan/ Sub-Plan to promote equity in the development among various social groups within Scheduled Castes/Scheduled Tribes and focused development of Backward Scheduled Caste/Scheduled

Scheduled Tribes Tribe habitations.

Obligation to cover Scheduled Castes/ Scheduled Tribes in general schemes

7. The departments shall ensure coverage of Scheduled Castes/Scheduled Tribes in the ongoing general schemes consistent with their eligibility for the same.

Formulation of Scheduled Castes Sub-Plan/ Tribal Sub-Plan schemes and preparation of Sub-Plans by the department

8. On receipt of communication each department, shall, after estimating the gaps in the development of Scheduled Castes/Scheduled Tribes through a consultative process, as may be prescribed, and shall formulate the Scheduled Castes Sub-Plan/ Tribal Sub-Plan and prepare the Sub-Plans comprising of the Scheduled Castes Sub-Plan/ Tribal Sub-Plan schemes, with in the State Plan priorities.

Submission of Sub-Plans Sub- **proposed to be included in the Annual Plan for appraisal**

9. Each Department shall submit, each year, to the Nodal Department, the Sub-Plans comprising of Scheduled Castes Plan/ Tribal Sub-Plan Schemes proposed to be included in the Annual Plans, for appraisal by the State Committee within the timeframe and in the format, as may be prescribed.

- 17 -

Chapter – III

Appraisal, Allocation of Scheduled Castes Sub-Plan /Tribal Plan Fund and Approval of the Sub-Plans

Sub-
Appraisal of Sub-**the Scheduled** Sub-Plan **Castes Sub-** submitted by **Plan and** and norms **Tribal Sub-Plan Schemes by the Nodal Agencies**

10. The State Committee for Scheduled Castes Sub-Plan/ Tribal Plan, shall take up appraisal of the Scheduled Castes schemes and Tribal Sub-Plan schemes respectively departments, to ensure conformity with the conditions laid down in the Act.

Allocation of Scheduled

11. The State committee while indicating allocation of Scheduled Castes Sub-Plan Fund and Tribal Sub-Plan Fund to the

Scheduled **Castes Sub-Plan** Castes Sub-Plan/ Tribal Sub-Plan schemes shall follow the **Fund and**

following norms; namely:- **Tribal Sub-Plan** **(a)** for schemes exclusively benefitting Scheduled Castes/Scheduled **Fund for**

Tribes individuals or Scheduled Castes/Scheduled Tribes **financing the** households, 100% of scheme cost shall be allocated and **Scheduled** accounted for under Scheduled Castes Sub-Plan/ Tribal Sub-

Plan **Castes Sub-**

fund;

Plan/ Tribal

(b) for schemes benefitting Scheduled Castes/ Scheduled Tribes

Sub-Plan

habitations/revenue village/urban ward, 100% of scheme cost

schemes

shall be allocated and accounted for under Scheduled Castes

Sub-**included in the**

Plan/ Tribal Sub-Plan fund. In case of other habitations 100%

Sub Plan

cost of the schemes shall be allocated and accounted for under Scheduled Castes Sub-Plan and Tribal Sub-Plan if the benefit of schemes is exclusively provided to Scheduled Castes/Scheduled Tribes hamlets or group of scheduled Caste or Scheduled Tribes population inhabiting with in the limits of the habitations/revenue village/urban ward;

(c) for general schemes, included in the Sub-Plans, benefitting Scheduled Caste/Scheduled Tribe individuals or Scheduled

- 18 -

Caste/Scheduled Tribe households, along with others, the scheme cost shall be allocated and accounted for under Scheduled Castes Sub-Plan/ Tribal Sub-Plan, in proportion to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe beneficiaries covered;

(d) in respect of non-divisible infrastructure works a portion of the scheme cost as may be determined by the Nodal Department shall be deemed to have been attributed for Scheduled Castes Sub-Plan and Tribal Sub-Plan respectively.

Recommenda- **12.** The schemes that fulfill the norms laid down in the Act shall be **tion by the** approved by the state committee for inclusion in the Annual Plan **Nodal** proposals of the departments and aggregated for Development of **Agencies and**

Scheduled Castes and Scheduled Tribes, so that the

Departments **Nodal**

can make necessary arrangements for budget provisioning.

Department.

Chapter – IV

Budget Provisioning, Distribution and Strengthening of Implementaion Machinery

Budget **13.** The outlay/budget for Scheduled Castes Sub-Plan/Tribal Sub-Plan **allocations.** approved by the State Committee shall be included in the

Demands for grants for the departments under the Grant Head 30 and 31 respectively for the Scheduled Castes Sub-Plan and Tribal Sub-Plan.

Scheduled Castes Sub-Plan and the Tribal Sub-Plan wing in Finance Department **14.** The Government shall appropriately strengthen the Finance Department as may be prescribed for performing the functions relating to Budget implementation and allocation according to provisions of this Act within the overall discipline of the ways and means position as determined by the Finance department.

Budget release the Orders **15.** Budget Release Orders shall be issued to each department, for amount provided in the Budget Estimates for Scheduled Castes

- 19 -

Sub-Plan/Tribal Sub-Plan immediately after passing of the budget by the State Legislature in accordance with the schedule and norms prescribed.

Chapter – V
Institutional Arrangements

State Committee for implementation and monitoring of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Sub Plan **16. (1)** As soon as may be, after the commencement of this Act, the Government shall, by notification, constitute a State Committee under the Minister of Social Welfare, to be known as the State Committee for implementation and monitoring of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Sub-Plan, to exercise the powers conferred and to perform the functions assigned to it under the Act and the rules made there under.

(2) The State committee shall meet at least twice in a year.

Functions of the State Committee **17.** The State Committee shall --

(a)advise the State Government on all the policy matters relating to Scheduled Castes Sub-Plan Tribal Sub-Plan.

(b)suggest measures for proper planning and implementation of the scheme by the departments;

(c)with the assistance of the Nodal Department evaluate and appraise Scheduled Castes Sub-Plan/Tribal Sub-Plan proposed by the departments for ensuring conformity to the provisions of this Act;

(d)approve the Annual Scheduled Castes Sub-Plan/Tribal Sub-Plan Plan proposals of the Departments;

(e)review the implementation and monitoring of the Scheduled Castes Sub-Plan/Tribal Sub-Plan programme;

(f)identify impediments and suggest measures for overcoming the impediments;

(g)perform such other functions as may be prescribed.

Note-- The directions of the State committee shall be binding on the Departments.

- 20 -

Nodal Department for exercise

18. The Social Welfare Department will act as Nodal Department assisting the state committee to perform its functions and its powers.

Function of Nodal Department

19. The Nodal department shall be following functions; namely :--

(a) Nodal Department shall co-ordinate with the departments for preparation of State level and district level Scheduled Castes Sub-Plan/Tribal Sub-Plan;

(b) Prepare State Scheduled Castes Sub-Plan/Tribal Sub-Plan for placing before the State committee for consideration and approval;

(c) Recommend reallocation of Scheduled Castes Sub-Plan/Tribal Sub-Plan funds from a department to other department;

(d) Set up a web portal for tracking the progress of the implementation, expenditure, output and outcome indicators as may be prescribed of Scheduled Castes Sub-Plan/Tribal Sub-Plan.

Establishment of Separate Administrator and Technical unit

20. The Government shall appropriately strengthen the Nodal Department of Social Welfare with an Administrator and Technical Unit to perform the functions and discharge the duties assigned to it and to assist the state committee.

Department level Sub-Plan Support Unit

21. The departments as identified by the State Committee may establish a Sub-Plan Support Unit, as may be prescribed to manage the respective Scheduled Castes Sub-Plan and Tribal Sub-Plan.

Implementation of Scheduled Castes Sub-Plan/Tribal Sub-Plan schemes in

22. (1) The Government shall constitute a District Monitoring Committee in each district with the District Collector as its Chairman, which shall be responsible for implementation of the Scheduled Castes Sub-Plan/Tribal Sub-Plan in the district.

(2) The District Planning Committees of each district shall review

the districts

the implementation of Scheduled Castes Sub-Plan/Tribal Sub-Plan periodically.

- 21 -

Institutional strengthening for effective implementa-tion and monitoring

23. The respective departments of Government shall take such measures as may be necessary for institutional strengthening of State, District and Sub-District units by providing necessary guidelines, staff and training to the staff in the manner prescribed, for effective implementation and monitoring.

Chapter – VI

Transparency and Accountability in the Implementation of Scheduled Castes Sub-Plan/ Tribal Sub-Plan

Transparency and accountability

24. (1) Each department shall ensure transparency and accountability at all levels in the implementation of Scheduled Castes Sub-Plan and Tribal Sub-Plan schemes.

(2) Each department shall host the documents, as may be prescribed in public domain.

Incentives and penalties.

25. The Government shall formulate an appropriate scheme, to award incentives for commendable performance and disincentives for proven negligence and lack of due diligence, in discharge of responsibilities under this Act by any functionary or official concerned.

Annual Report to be placed before State Legislature

26. The Nodal agency shall place before the State Legislature, an Annual Report on outcome of implementation of Scheduled Castes Sub- Plan/ Tribal Sub-Plan containing department-wise achievements and the un-utilised funds during the financial year under report.

Power to make Rules

27. (1) Subject to the other provisions of this Act, the Government may, by notification, make rules for carrying out all or any of the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the

following matters, namely;

- 22 -

(a)determination of gaps in development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(b)earmarking Scheduled Castes Sub-Plan/Tribal Sub-Plan Funds from the plan outlays;

(c)identification of Scheduled Castes Sub-Plan/Tribal Sub-Plan and preparation of Sub-Plans by the departments;

(d)preparation of budget proposal of Scheduled Castes Sub-Plan/Tribal Sub-Plan for appraisal by the Nodal Departments;

(e)strengthen the Finance Department for monitoring expenditures under the Scheduled Castes Sub-Plan and Tribal Sub-Plan;

(f)constitution of, and transaction of business in the State committee for implementation and monitoring of Scheduled Castes Sub-Plan and Tribal Sub-Plan; the qualification, disqualification and other allowances to the non-official members of the State Council;

(g) Designation of Nodal Department for Scheduled Castes Sub-Plan and Tribal Sub-Plan;

(h)maintenance of a web portal by the Nodal Department;

(i)constitution of Administrative and Technical Support unit in Nodal Department for Scheduled Castes Sub-Plan/Tribal Sub-Plan;

(j)constitution of Sub-Plan Support Unit at department level;

(k)constitution of District Monitoring Committees and the connected matters;

(l)institutional strengthening at State, district and sub-district level for ensuring effective implementation, awareness, mass contact programme and monitoring of Scheduled Castes Sub-Plan and Tribal Sub-Plan;

(m)procedures for ensuring transparency and accountability in the implementation of Scheduled Castes Sub-Plan and Tribal Sub-Plan.

- 23 -

(3) Every rule made under this Act shall, immediately after it is made shall be laid before the Cabinet.

Power to Act, **remove difficulties** as

28. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the the Government may, by order, make such provisions or give such directions not inconsistent with the provisions of the Act may appear to it to be necessary or expedient for the removal of the difficulty :

Provided that no such power shall be exercised after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid as soon as it is made before the Vidhan Sabha.

Repeal and saving 2013

29. (1) The Uttrakhand Scheduled Castes Sub Plan and Tribal Sub Plan (Planning, Allocation and Utilization) ordinance, (Ordinance No. 02, year 2013) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done, or any action taken under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.